

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, बिहारशरीफ।

पटना, दिनांक-25/03/19

विषय:- विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु पूर्व में स्वीकृत नाला निर्माण की योजनाओं के लिए देनदारी की राशि कुल ₹76.53725 लाख (छिहत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ पच्चीस रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में आवंटित।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर निगम, बिहारशरीफ में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 4 में अंकित विभागीय राज्यादेश द्वारा स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 के अनुरूप राशि आवंटित की गई थी। नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ द्वारा उक्त आवंटित राशि के व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०-167 दिनांक-25/03/19 के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ- 08 में अवशेष राशि कुल ₹76.53725 लाख (छिहत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ पच्चीस रु०) मात्र नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश / दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	कुल अवशेष राशि (5-6)	आवंटित कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, बिहारशरीफ	सुभाष मार्ग में पुलिया से उत्तर डी०एम० आवास के पीछे से बिहारशरीफ प्रखंड कार्यालय के पीछे होते हुए हॉस्पिटल चौक बड़ी पहाड़ी मेन रोड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	262 / 22.03.2017	157.01900	117.76425	39.25475	39.25475
2		हॉस्पिटल मोड़ वासो चाय के दुकान से छोटी पहाड़ी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।		149.13000	111.84750	37.28250	37.28250
योग				306.14900	229.61175	76.53725	76.53725.

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹76.53725 लाख (छिहत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ पच्चीस रु०) मात्र।

3. उक्त आवंटित ₹76.53725 लाख (छिहत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ पच्चीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। *निकासी के उपरांत राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा (विघटित) सम्प्रति बुडको, नालंदा को बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ द्वारा की जाएगी।* राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. ~~चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी।~~ वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त आवंटित ₹76.53725 लाख (छिहत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ पच्चीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- 48-2217011910116, विषय शीर्ष- 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 19

25-03

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2018 128 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-21-3-19

**प्रतिलिपि:**— महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक अभियंता, बुडको, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25-03-19

सरकार के विशेष सचिव।



\* ई-मेल  
स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

पत्रांक-2ब०/सड़क-09-01/2019 167

/न०वि०एव०आ०वि०

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

\* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 25/3/19

विषय:- विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु पूर्व में स्वीकृत नाला निर्माण की योजनाओं के लिए देनदारी की राशि कुल ₹76.53725 लाख (छिहत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ पच्चीस रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर निगम, बिहारशरीफ में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्तम्भ- 4 में अंकित विभागीय राज्यादेश द्वारा स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 6 के अनुरूप राशि आवंटित की गई थी। नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ द्वारा उक्त आवंटित राशि के व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ- 08 में अवशेष राशि कुल ₹76.53725 लाख (छिहत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ पच्चीस रु०) मात्र की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश / दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	कुल अवशेष राशि (5-6)	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, बिहारशरीफ	सुभाष मार्ग में पुलिया से उत्तर डी०एम० आवास के पीछे से बिहारशरीफ प्रखंड कार्यालय के पीछे होते हुए हॉस्पिटल चौक बड़ी पहाड़ी मेन रोड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	262/ 22.03.2017	157.01900	117.76425	39.25475	39.25475
2		हॉस्पिटल मोड़ वासो चाय के दुकान से छोटी पहाड़ी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य		149.13000	111.84750	37.28250	37.28250
योग				306.14900	229.61175	76.53725	76.53725

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹76.53725 लाख (छिहत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ पच्चीस रु०) मात्र।

*इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।*

3. उक्त स्वीकृत ₹76.53725 लाख (छिहत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ पच्चीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। *निकासी के उपरांत राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा (विघटित) सम्प्रति बुडको, नालंदा को बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ द्वारा की जाएगी।* राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त स्वीकृत ₹76.53725 लाख (छिहत्तर लाख तिरपन हजार सात सौ पच्चीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- 48-2217011910116, विषय शीर्ष- 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क-09-01/2019 के पृष्ठ सं०-.....०५...../टि० पर दिनांक-19/03/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....०५...../टि० पर दिनांक-19/03/2019 को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

11. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से 19

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2018 167 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-25-3-19  
प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक अभियंता, बुडको, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

